कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1161 / 2022 / 10–11 / 1860 भोपाल, दिनांक 31/03/2024

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– खरगोन जिले के बड़वाह वन मण्डल में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/152561/2022)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 031/2022/BHO दिनांक 14.02.2024

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में हुये उल्लंघन के संबंध में जानकारी प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये हैं। निर्देश के तारतम्य में जानकारी निम्नानुसार है :–

प्रस्तावित मार्ग वनमण्डल, बड़वाह के अंतर्गत परिक्षेत्र सनावद, कक्ष क्रमांक 291 इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौड़ीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वन भूमि का प्रस्ताव पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया गया था।

प्रकरण में वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया है :–

1. Penalty for violation आवेदक संस्था निम्नानुसार वसूल किया जाना है :–

क्र.	मद	रकबा हे.मे.	घनत्व	ईको क्लास श्रेणी	NPV की दर प्रतिवर्ष	राशि रू. में	Violation Time	
1	NPV	3.20	OPEN FOREST	III	957780	3064896	26.02.2022 से 26.02.2023	One year
2	NPV	3.20	OPEN FOREST	III	957780	3064896	26.02.2023 से 26.02.2024	One year
3	NPV	3.20	OPEN FOREST	III	957780	78722	26.02.2024 से 26.03.2024	30 Days
Total						**6208514**		

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा द्वारा बिना पूर्व अनुमति के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 291 बीट बड़ौद, क्षेत्र सहायक एवं परिक्षेत्र सनावद में कार्य किया गया। तत्समय परिक्षेत्र अधिकारी सुश्री प्रियंका मरकाम को दिनांक 05.03.2024 से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु वनमण्डलाधिकारी द्वारा लेख किया गया है। श्री सत्यनारायण सोनी, उप वनक्षेत्रपाल को भी दिनांक 05.03.2024 से कारण बताओं सूचना पत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। श्री रोहित बिर्ला, परिसर रक्षक, बड़ूद से भी दिनांक 05.03.2024 से कारण बताओं सूचना पत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। इन दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

3. प्रकरण में आवेदक संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर फोरलेन निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2024 से बिना अनुमति के कार्य कराने वाले तत्समय पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण चाहा गया, जिसके संबंध में आवेदक संस्था ने अपने पत्र दिनांक 26.02.2024 से प्रतिवेदन दिया गया है, छायाप्रति संलग्न है।

4. इस मार्ग निर्माण में क्रियान्वयन एजेंसी एन.एच.ए.आई. पी.आई.यू. खण्डवा के श्री राकेश पिता अमीलाल यादव, सीनियर मेनेजर के.सी.सी. बिल्डकोन, प्रा.लि., प्रोजेक्ट ऑफिस–फ्लेट–38, तुलिप रेसीडेंसी, नवाकार नगर, खण्डवा द्वारा जो झाड़ियां काटी कई थी प्रकरण संज्ञान के आने पर तत्काल मौके पर कार्यवाही की गई। उल्लंघन करने हेतु मार्ग निर्माण के ठेकेदार के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। ठेकेदार द्वारा एक दिन में जो झाड़ियॉ काटी गई थी उनकी दोगुना राशि रूपये 37,500/– डी.डी.क्रमांक 007939 दिनांक 18.05.2022 एवं राशि रू. 5,373/– डी.डी.क्रमांक 223855 दिनांक 05.07.2022 से कुल राशि रू. 42,873/– वसूल किया जाकर दिनांक 28.07.2022 से वनमण्डलाधिकारी द्वारा प्रकरण को अभिसंधानित कर प्रकरण का निराकरण किया गया है।

प्रकरण में उल्लंघनकर्ता आवेदक संस्था एन.एच.ए.आई. के विरूद्ध नियमानुसार पेनेल्टी लगाई जाना प्रस्तावित है। वनमण्डलाधिकारी, बड़वाह से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रकरण में चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

31.03.24

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–5/1161/2022/10–11/ 1861 भोपाल, दिनांक 31/03/2024

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, बड़वाह/खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

31.03.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक–कार्यालय–(07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 2309 बडवाह, दिनांक 27-3-2024

प्रति,

अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) वन भवन, तुलसी नगर
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु 3.20 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 4.138 हे.) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण कमांक/FP/MP/ROAD/152561/2022)

संदर्भः– 1. आपका पत्र कमांक / एफ–5 / 1161 / 2022 / 10–11 / 1096 भोपाल, दिनांक 19.02.2024

----000----

निवेदन है कि वनमण्डल बडवाह के अंतर्गत परिक्षेत्र सनावद, कक्ष कमांक 291, में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वरिष्ठ को प्रेषित किये गये है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 14.02.2024 के संबंध में आवेदक संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कियान्वयन इकाई खण्डवा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन कर फोरलेन निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में Consolidated guidelines and clarifications issued under van sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam, 1980" Handbook के para 1.16 के अनुसार उल्लंघन के प्रकार का निर्धारण कर आवेदक संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन चाहा गया था।

आवेदक संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कियान्वयन इकाई खण्डवा के पत्र कमांक / 654 दिनांक 25.04.2022 बिन्दु कमांक (Xiii) द्वारा लेख किया गया है कि कक्ष कमांक 291, बीट बडूद, परिक्षेत्र सनावद अंतर्गत 3.2 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु प्रकरण NHAI PIU इन्दौर के द्वारा package – III (बलवाडा से धनगांव सेक्शन) अंतर्गत उल्लंघन दिनांक से पूर्व फॉरेस्ट क्लीयरेंस हेतु आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर दिया गया था।

उक्त आवेदन में आवेदक संस्था द्वारा कक्ष कमांक 291, बीट बडूद, परिक्षेत्र सनावद अंतर्गत 3.2 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि को गैर वन शासकीय भूमि मानकर कार्यवाही की गई। PIU इन्दौर द्वारा उक्त वनभूमि को Package – III से अलग कर Package – IV में हस्तांतरित करने एवं PIU खण्डवा द्वारा उक्त वनभूमि के संबंध में फॉरेस्ट क्लीयरेंस हेतु नवीन आवेदन पुनः ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित कर वनमण्डलाधिकारी बडवाह को दिनांक 15.02.2022 को लेख किया गया। NHAI – PIU खण्डवा के परियोजना निदेशक द्वारा पत्र कमांक / NHAI/PIU-KNW/DFO-CORR/2022/546 दिनांक 23.02.2022 के माध्यम से प्रपोजल नंबर/FP/MP/ROAD/152561/2022 प्रेषित किये गये।

अतः उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में Consolidated Guidelines and clarification issued under Van Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam, 1980" handbook para 1.16 (ii) (a-b-c-d) (In cases where the proposal under van (Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam, 1980 is under consideration and forest land is diverter before grant of FC.) के अनुरूप निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्तावित है।

(a) Penalty for violation उक्त प्रकरण में आवेदक संस्था से अर्थदण्ड वसूली निम्नानुसार की जाना प्रस्तावित है।

क्र.	मद	रकबा हे.मे.	घनत्व	इको क्लास श्रेणी	एन.पी.व्ही. की दर प्रति वर्ष	राशि रूपये में	Violation Time	
1	NPV	3.20	OPEN FOREST	III	957780	3064896	26.02.2022 से 26.02.2023	One Year
2	NPV	3.20	OPEN FOREST	III	957780	3064896	26.02.2023 से 26.02.2024	One Year
3	NPV	3.20	OPEN FOREST	III	957780	78722	26.02.2024 से 26.03.2024	30 Days
	Total					6208514		

(b) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कियान्वयन इकाई खण्डवा द्वारा बिना पूर्वानुमति के आरक्षित वन कक्ष कमांक 291, बीट बडूद, क्षेत्र सहायक सनावद, परिक्षेत्र सनावद में कार्य किया गया, जिसके लिए तत्समय पदस्थ परिक्षेत्र अधिकारी सुश्री प्रियंका मरकाम, वनक्षेत्रपाल, से कार्यालयीन पत्र कमांक/स्था0/2023/1569 दिनांक 05.03.2024 से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। श्री सत्यनारायण सोनी, उप वनक्षेत्रपाल, से कार्यालयीन पत्र कमांक/स्था0/2023/1567 दिनांक 05.03.2024 से कारण बताओ सूचना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। श्री रोहित बिर्ला, परिसर रक्षक बडूद से कार्यालयीन पत्र कमांक/स्था0/2023/1561 दिनांक 05.03.2024 से कारण बताओ सूचना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। तथा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

(c) आवेदक संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग कियान्वयन इकाई खण्डवा द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन कर फोरलेन निर्माण कार्य किये जाने के संबंध में कार्यालयीन पत्र कमांक/1187 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा आवेदक संस्था से भारत सरकार की बिना अनुमति के आरक्षित वनभूमि में कार्य कराने वाले तत्समय पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध की कार्यवाही विवरण चाहा गया था, जिसके संबंध में आवेदक संस्था के पत्र कमांक/2616 दिनांक 26.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

(d) कियान्वयन एजेंसी एन.एच.ए.आई., पी.आई.यू. खण्डवा के श्री राकेश पिता अमीलाल यादव, सीनियर मेनेजर के.सी.सी. बिल्डकोन, प्रा.लि.। प्रोजेक्ट ऑफिस – पलेट 38, तुलिप रेसीडेंसी, नवाकार नगर, खण्डवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा वन परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291, रकबा 3.2 हेक्टैयर में ठेकेदार द्वारा एक दिन में जो झाडियॉ काटी गई थी प्रकरण संज्ञान के आने पर तत्काल मौके पर कार्यवाही की गई। उल्लंघन करने वाले सड़क ठेकेदार के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। ठेकेदार द्वारा एक दिन में जो झाडियॉ काटी गई थी उनकी राशि से दोगुनी राशि रूपयें 37500/– डी.डी. क्र. 007939 दिनांक 18.05.2022 एवं राशि रूपयें 5373/–, डी.डी. क्र. 223855 दिनांक 05.07.2022 से कुल राशि 42873/– वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल बड़वाह के आदेश क्रमांक/2022/295 बड़वाह दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित कर निराकरण किया गया है।

उल्लंघनकर्ता आवेदक संस्था NHAI के विरूद्ध नियमानुसार पेनल्टी लगाई जाना प्रस्तावित है।
संलग्नः– एन.एच.ए.आई. पी.आई.यू. खण्डवा का पत्र कमांक/2616 दिनांक 26.02.2024 की छायाप्रति।

(अनुराग तिवारी)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

पृष्ठां क्र./मा.चि./2024/2310 बडवाह, दिनांक–27-3-2024
प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नः– पत्र कमांक/2616 दिनांक 26.02.2024 की छायाप्रति।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

E/Hcl data/Indore-Edlabad/Letter 2022 (dhangaon)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
पता – प्लॉट नं. 66–67, सिद्धि विनायक कॉलोनी, दादाजी कॉलेज के पास, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.)
Add. - Plot No. 66-67, Siddhi Vinayak Colony, Near Dadaji College, Indore Road. Khandwa (M.P.) 450001
e-mail : piukhandwa@nhai.org, nhaikhandwa@gmail.com

NHAI/PIU-KNW/ DH-BO/1104/2024/ 2616 Date: 26.02.2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल, बड़वाह,
जिला खरगोन (म.प्र.)

विषयः खरगोन एवं खंडवा जिले में इंदौर– एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमंडल की 3.20 हेक्टेयर एवं खंडवा वनमंडल की 0.477 हेक्टयर वनभूमि एवं राजस्व, वनभूमि 0.461 हेक्टेयर कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खंडवा को उपयोग पर देने बाबत्। प्रस्ताव क्रमांक– **FP/MP/ROAD/152561/2022**

संदर्भः (1) वनमंडलाधिकारी बड़वाह का पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 23.02.2024
(2) वनमंडलाधिकारी बड़वाह का पत्र क्रमांक 5877 दिनांक 18.08.2023
(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रंमाक 1096 भोपाल दिनांक 19.01.2024
(4) 3डी राजपत्र क्रमांक 2271(अ) दिनांक 01.06.2018

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 347बी. जी एवं 753एल के धनगाव–बोरगाव (पैकेज–4) खण्ड के चार लेन चौडीकरण कार्य के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव क्रमाक FP/MP/ROAD/152561/2022 की स्वीकृति की कार्यवाही प्रगतिरत है जिसके अतर्गत वनमडलाधिकारी सामान्य वनमंडल बडवाह का पत्र दिनाक 23.02.2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण में भारत सरकार की बिना अनुमति के आरक्षित वनभूमि में कार्य कराने वाले तत्समय पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियो नाम एवं पदनाम एवं आपके द्वारा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

2. उक्त प्रकरण के संबंध में लेख है कि, वनमंडलाधिकारी खंडवा द्वारा पत्र दिनांक 18.08.2023 में उल्लेखित है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–3(I) क तहत एन.एच.ए.आई क्रियान्वयन इकाई खण्डवा जिम्मेदार होने पर भारत सरकार की अनुमति के बिना परिक्षेत्र सनावद के कम कमाऊ 291 लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व निर्मित खंडवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरन मिट्टी डालकर सडक मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर नियमानुसार इन अपराध प्रकरण कायम किया जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश क्र /2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। तथा कुल राशि 42,873 वसूल की गई। वन संरक्षण नियम 2003 अतर्गत दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार 1.21 (ii) जहां वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव बन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विचाराधीन है एवं वनक्षेत्र में बिना सैद्धांतिक/औपचारिक अनुमति के कार्य प्रारंभ किया गया है वहां आवेदक संस्था पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना है। अतः वन संरक्षण 1980 को धारा–2 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में आवेदक सस्था एन. एच. ए. आई द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 3.20 हेक्टेयर के दुगुने क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर पर दण्डात्मक वृक्षारोपण (Penal Afforatation) हेतु राशि प्रस्तावित की गई है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3(B) के तहत कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार /दोषी नहीं है क्योंकि इनके द्वारा अवैध कार्य सज्ञान में आने पर तत्काल सूचना दी गई एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई। अतः उक्त प्रकरण में इस कार्यालय की ओर से कोई भी दोषी नही है।

3. उक्त परियोजना भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है, तथा शीघ्र ही उक्त परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि, उक्त वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव क्रमाक FP/MP/ROAD/152561/2022 की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का कष्ट करें, ताकि परियोजना का कार्य ससमय पूर्ण किया जा सकें।

26/2/24

(आशुतोष सोनी)
परियोजना निदेशक

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ प्रेषित।
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल।
2. कलेक्टर खरगोन।
3 क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. कार्यालय, भोपाल ।
4. वन संरक्षक, वनवर्त खडवा ।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला– खरगोन (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक–कार्यालय–(07280) 222154 ई मेल dfotbwaha@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/1187 बडवाह, दिनांक 23/2/2024

प्रति,

प्रियोजना संचालक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
परियोजना कियान्वयन इकाई प्लाट नंबर 66–67
सिद्धी विनायक कॉलोनी दादाजी कॉलेज के पास इन्दौर रोड खण्डवा

विषयः– खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरणहेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि एवं राजस्व, वनभूमि 0.461 हेक्टेयर कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।

प्रपोजल नंबर– FP/MP/ROAD/152561/2022

संदर्भः–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र कमांक/एफ–5/1161/2022/10–11/2870 भोपाल, दिनांक 18.08.2022
2. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा का पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/6403 खण्डवा, दिनांक 23.08.2022
3. व्रिडियों कॉफ्रेसिंग दिनांक 15.02.2024 में दिये गये निर्देश।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुडा भवन भोपाल का पत्र कमांक/एफ–5/1161/2022/10–11/1096 भोपाल, दिनांक 19.01.2024

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वरिष्ठ को प्रेषित किये गये है। जिसमें आवेदक संस्था द्वारा बिना अनुमति के कक्ष कमांक 291 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर कार्य किया गया।

उपरोक्त प्रकरण मे भारत सरकार की बिना अनुमति के आरक्षित वनभूमि में कार्य कराने वाले तत्समय पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों नाम एवं पदनाम एवं आपके द्वारा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध की गई कार्यवाही का व्रिवरण सहित तत्काल प्रेषित करें, ताकि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ को प्रेषित किये जा सकें।

संलग्नः– संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(अनुराग तिवारी)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

पृष्ठां क्र./मा.चि./2024/1188 बडवाह, दिनांक–23/2/2024

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वाह, जिला खरगोन, म.प्र.

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 5877 बड़वाह दिनांक 13/06/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :– खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौडीकरण हेतु बडवाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वनभूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने बाबद्।

संदर्भः– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6–MPB 031/2022-BHO/ दिनांक 11.05.2023
2. आपका पृष्ठांकन क्रमांक / एफ–5 / 1161 / 2022 / 10–11 / 1914 भोपाल, दि. 12.05.2023

——000——

निवेदन है कि, विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर–एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण / चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की कक्ष क्रमांक 291 रकबा 3.20 हेक्टेयर वनभूमि उपयोग पर देने के संबंध में संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दु क्रमांक–02, 03 एवं 05 की जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

अ.क्र.	बिन्दु	उत्तर
2	As per proposed area (22°3'19.26- N,76°7'43.57–E) in sanawad range, it appears that approx.. 934 meter the road already constructed. It shall be clarified.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण खण्डवा के द्वारा वनक्षेत्र में मिट्टी मुरूम डालने की सूचना मिलने पर तत्काल ही अगले दिन दिनांक 26.02.2022 को उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह द्वारा मौके पर परिक्षेत्र सनावद कक्ष कमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र, जीपीएस रीडिंग 22°3'19.26- N, 76°7'43.57 –E लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौंडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सड़क निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। दिनांक 10.03.2022 एन.एच.ए.आई. खण्डवा के श्री सत्यम चौरसिया साईट इंजिनियर ठेकेदार श्री संदीप शुक्ला पिता श्री सत्यनारायण शुक्ला के.सी.सी. बिल्डकॉन प्रा.लि. एवं सुनिल कुमार पाण्डेय, रेसीडेन्ट इंजिनियर की उपस्थिति मे कक्ष कमांक 291 का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था। जिसके कुछ समय पूर्व ही एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा उक्त अवैध कार्य संज्ञान में आने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के द्वारा एन.एच.ए.आई. खण्डवा के ठेकेदार के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण कमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। ठेकेदार द्वारा जो झाडी झुण्डी काटी गई थी, उस राशि से दुगुनी राशि 37500/– डी.डी. कमांक 007939 दिनांक 18.05.2022 एवं राशि रूपये 5373/– डी.डी. कमांक 223855 दिनांक 05.07.2022 से कुल राशि 42873/– वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश कमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। दिनांक 26.02.2022 को वन अपराध प्रकरण कायम करने की दिनांक से आज दिनांक तक मौके पर यथास्थिति है, उसके पश्चात एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया।
3	In the proposed Khandwa range area, a building has been constructed (Cordinate (21°53'27.22"-N,76°10'57.22"E) on the proposed route. It shall be clarified.	जीपीएस रीडिंग (21°53'27.22"- N, 76°10'57.22" –E) वनमण्डल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सामान्य वनमण्डल खण्डवा के क्षेत्र अंतर्गत है।

/2

5	Since violation has been reported, a detailed report in accordance with clause 1.21 of FCA guidelines needs to be submitted. W.r.t. Extent/area of violation. Date of reporting of violation. Date when cognizance/ action was taken, Authority on whose orders violation was committed. Action taken Report Shall be submitted.	वन [illegible], परिक्षेत्र सनावद कक्ष क्रमांक 291 [illegible] 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर कुल रकबा 3.195 हे. में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरूम मिट्टी डालकर भारत सरकार की अनुमति के बिना सडक निर्माण किया गया। वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 पंजीबद्ध किया गया। कुल राशि 42873/- वसूल की जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश क्रमांक 2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। दिनांक 26.02.2022 को मौके पर परिक्षेत्र सनावद कक्ष क्रमांक 291 में प्रस्तावित क्षेत्र लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक निर्माण कार्य पाये जाने पर परिक्षेत्र अधिकारी सनावद के पत्र कमांक/300 दिनांक 11.03.2022 एवं उप वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पृष्ठांकन कमांक/2021/715 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी बडवाह को एन.एच.ए.आई. खण्डवा के द्वारा बिना अनुमति कार्य करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। वनमण्डलाधिकारी बडवाह के पत्र कमांक/मा.चि./2022/7744 बडवाह, दिनांक 14.09.2022 के द्वारा फॉरेस्ट कन्जर्वेसन एक्ट 1980 के उल्लंघन के संबंध में संक्षेपिका तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित की गई। (छायाप्रति संलग्न) **Details of Violation** – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण कायम कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–3(A) के तहत एन.एच.ए.आई. कियान्वयन इकाई खण्डवा जिम्मेदार होने पर तथा भारत सरकार की अनुमति के बिना परिक्षेत्र सनावद के कक्ष कमांक 291 में लगभग लम्बाई 945 मीटर एवं औसत चौडाई 33.86 मीटर में पूर्व से निर्मित खण्डवा इन्दौर मार्ग के किनारे झाडी झुण्डी सफाई कर मुरम मिट्टी डालकर सडक मार्ग निर्माण कार्य पाये जाने पर नियमानुसार वन अपराध प्रकरण कायम किया जाकर वनमण्डलाधिकारी बडवाह के आदेश क्र. /2022/295 दिनांक 28.07.2022 से प्रकरण अभिसंधानित किया गया। तथा कुल राशि 42873 वसूल की गई। वन संरक्षण नियम 2003 अतर्गत दियें गये दिशानिर्देश के अनुसार 1.21 (ii) जहां वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विचाराधीन है एवं वनक्षेत्र में बिना सैद्धांतिक/औपचारिक अनुमति के कार्य प्रारंभ किया गया है वहां आवेदक संस्था पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना है। अतः वन संरक्षण 1980 की धारा –2 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण मे आवेदक संस्था एन.एच.ए. आई. द्वारा प्रस्तावित वनभूमि 3.20 हेक्टेयर के दुगुने क्षेत्र 6.40 हेक्टेयर पर दण्डात्मक वृक्षारोपण (Penal Afforatation) हेतु राशि प्रस्तावित की गई है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा –3(B) के तहत कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार/दोषी नहीं है क्योंकि इनके द्वारा अवैध कार्य संज्ञान में आने पर तत्काल सूचना दी गई एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई।

संलग्न :– पत्र कमांक/7744 दि. 14.09.2022 की छायाप्रति।

(परशुराम तिवारी)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2023/5878 बडवाह, दिनांक 18/08/2023
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न :– पत्र कमांक/7744 दि. 14.09.2022 की छायाप्रति।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बड़वाह